पुलिस आयुक्त का कार्यालय : दिल्ली।
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या 011-23746100 Extn. 69970

दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु :: दिल्ली
(पुलिस आयुक्त :: दिल्ली द्वारा पारित आदेश)

अधिसूचना

दिनांक : 1/9/2026

No.A/1/3(IV-13)/2025/63527/Prom. Cell/CB-IV/PHQ: तदर्थ पदोन्नति : - पुलिस आयुक्त, दिल्ली को निम्नलिखित महिला प्रधान सिपाहियों (कार्यकारी)/महिला सहायक उप-निरीक्षकों (एसजी/एलए/एफआर) (कार्यकारी) को मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध, जिनके नाम महिला सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद के लिए पदोन्नति सूची में विद्यमान हैं, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टि) नियम, 1980 के नियम 19(i) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए अथवा सहायक उप-निरीक्षक पुष्टि पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नियमित पदोन्नति के लिए पात्र होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, महिला सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है : -

क्र. सं.	नाम	बेल्ट नं.	पीआईएस नं.	श्रेणी	सी.जी. नं.
1	मंजू रानी	47/CR	28091060	एससी	P-0926-143-
2	शालू	2441/N	28106735	एससी	P-0926-143-

वे नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता अथवा ऐसे या किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकार का दावा करने की हकदार नहीं होंगी तथा बिना किसी नोटिस और बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी होंगी। तदर्थ पदोन्नति उस तारीख से समाप्त कर दी जाएगी जब पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है अथवा वह अपनी बैच की सहकर्मियों के साथ निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इंकार करती है अथवा संबंधित पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में असफल रहती है अथवा उसे निलंबित किया जाता है अथवा विभागीय जांच के आदेश दिए जाते हैं अथवा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है अथवा बड़ी दंडात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप नैतिक अधमता या भ्रष्टाचार के आरोपों पर परिनिंदा दंड दिया जाता है।

(अरुण के. शर्मा) अपर पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV
पुलिस आयुक्त के लिए :
नई दिल्ली।

No.A/1/3(IV-13)/2025/63528-50/Prom. Cell/CB-IV/PHQ दिल्ली, दिनांक 1/9/2026.

प्रतिलिपि प्रेषित : -

1. DCsP/North District & Crime, Delhi आवश्यक कार्रवाई हेतु। संबंधित व्यक्तियों को विधिवत प्राप्ति रसीद के विरुद्ध तदनुसार सूचित किया जाए।
2. ACP/IT (PHQ), Delhi.
3. Inspector 'P' Branch/PHQ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. Inspector Estt.Branch/PHQ दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
5. I/C Hindi Cell/PHQ आवश्यक कार्रवाई हेतु
6. I/C Computer/CB इसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. ACs-R, II & VIII व्यक्तिगत फाइल तैयार करने हेतु 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970

FOR PUBLICATION IN THE DELHI POLICE GAZETTE :: DELHI
(ORDERS PASSED BY THE COMMISSIONER OF POLICE :: DELHI)

NOTIFICATION

Dated : 19/2026

No.A/1/3(IV-13)/2025/ 63527 /Prom. Cell/CB-IV/PHQ: **ADHOC PROMOTION** : - The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant adhoc promotion to the following W/HCs (Exe.)/W-ASI/(SG/LA/FR) (Exe.) to the rank of W/ASI (Exe.) against the existing vacancies, whose names exist on Promotion List for the post of W/ASI (Exe.) with immediate effect for a period of six months or till such time they become eligible for regular promotion after having been successfully completed the Asstt. Sub-Inspector Confirmation Course, whichever is earlier under Rule 19 (i) of Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules, 1980: -

Sl. No.	NAME	BELT No.	PIS No.	CAT	C.G. NO.
1.	MANJU RANI	47/CR	28091060	SC	P- 01 0926-143- 0002
2.	SHALU	2441/N	28106735	SC	P- 01 0926-143- 0003

They will not be entitled to claim any right for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The adhoc promotion shall be discontinued from the date when promotee is/are declared medically unfit for promotional training course or she denies to undergo the prescribed training course alongwith her batchmates or she fails in relevant promotional training course or she is placed under suspension or DE is ordered or any criminal case is registered or awarded censure on allegations of moral turpitude or corruption pursuant to major penalty proceedings.

(ARUN K. SHARMA) ADDL. DCP/HQ-IV
FOR COMMISSIONER OF POLICE:
NEW DELHI.

No.A/1/3(IV-13)/2025/ 63528-50 /Prom. Cell/CB-IV/PHQ dated Delhi the 19/2026.

Copy to:-

1. DCsP/North District & Crime, Delhi for necessary action. The individuals may be informed accordingly against their proper receipt.
2. ACP/IT (PHQ), Delhi.
3. Inspector 'P' Branch/PHQ for information and n/a.
4. Inspector Estt.Branch/PHQ for publication in Delhi Police Gazette.
5. I/C Hindi Cell/PHQ for necessary action
6. I/C Computer/CB for uploading the same in the website of Delhi Police.
7. ACs-R, II & VIII with 2 spare copies for preparing their personal files.
